प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. **58/2024)**

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार वनियामक **प्राधिकरण**

वनियामकों की संयुक्त स मति (जेसीओआर**)** की बैठक

नई दिल्ली**, 27** अगस्त**, 2024 -** भादू व**प्रा** ने **27** अगस्त**, 2024** को अपने मुख्यालय**,** नई दिल्ली में वनियामकों की संयुक्त स मति (जेसीओआर**)** की बैठक बुलाई। भारतीय बीमा नियामक और वकास प्रा धकरण (आईआरडीएआई), पेंशन नि ध वनियामक और वकास प्रा धकरण (पीएफआरडीए), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई**),** भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय बोर्ड **(**सेबी**),** उपभोक्ता मामले मंत्रालय (एमओसीए), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यो गकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), और भादू व**प्रा** के जेसीओआर सदस्य इस बैठक में शा मल हुए। इसके अतिरिक्त**,** दूरसंचार वभाग (डीओटी) एवं गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रतिनि ध वशेष अति थ के रूप में शा मल हुए। जेसीओआर डजिटल युग में वनियामकीय निहितार्थों की जांच करने और वनियामकीय ढांचे पर सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है।

अपने संबोधन में**,** भादू व**प्रा** के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने स्पैम संदेशों और कॉलों की समस्या **से निपटने के लिए** संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। **उन्होंने विनियामकों से आग्रह किया कि वे (**i**) एसएमएस में भेजे जाने वाले यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक और कॉल बैक नंबरों की श्वेतसूचीकरण, (**ii**) प्रमोशनल कॉल करने वाले मौजूदा टेलीमार्केटर्स को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर 140 सीरीज में माइग्रेट करना, और (**iii**) पीई-टीएम चेन बाइंडिंग के लिए उनके द्वारा नियोजित टेलीमार्केटर्स की पूरी चेन की घोषणा पर चर्चा करें और उसे लागू करने में सक्षम बनाएं।**

बैठक में दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से यूसीसी और धोखाधड़ी से निपटने के लिए संभावित सहयोगात्मक प्रयासों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे नीचे दिए गए हैं-

- कंटेन्ट **टेम्पलेट्स में यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक और कॉल बैक नंबरों** के **श्वेतसूची**करण **में संस्थाओं की भूमिका और प्रेषक से प्राप्तकर्ताओं तक सभी संदेशों की** ट्रेसीबि लटी **सुनिश्चित करना - हेडर और टेम्प्लेट के दुरुपयोग के कई मामले देखे गए हैं। संदेशों के परिवर्तनशील भागों का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण लिंक के प्रसारण के माध्यम से धोखाधड़ी होती है। हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के दुरुपयोग के मामले में, ट्रैफ़िक को आगे बढ़ाने वाली इकाई का पता लगाना मुश्किल है। इसलिए,** भादू व**प्रा के नवीनतम निर्देशों द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबरों की अनिवार्य श्वेतसूची और** पीई-टीएम **चेन बाइंडिंग के लिए उनके द्वारा नियोजित टेलीमार्केटर्स की पूरी श्रृंखला की घोषणा को लागू करने की आवश्यकता है।**
- **अनचाहे कॉल करने के लिए संस्थाओं** द्वारा पीआरआई/ एसआईपी **चैनलों का उपयोग करने के मुद्दे** से निपटना **- कई व्यावसायिक संस्थाएँ** भादू व**प्रा के नियमों का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों संकेतकों के साथ** एसआईपी **/** पीआरआई **लाइनों का उपयोग करके वाणिज्यिक वॉयस कॉल करती हैं। इन संस्थाओं को प्रमोशनल कॉल करने के लिए निर्दिष्ट 140 श्रृंखला में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही, बिना किसी देरी के,**

उन स्पैमर्स पर सख्त कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है जो प्रमोशनल वॉयस कॉल/रोबो कॉल/प्री-रिकॉर्डेड कॉल करने के लिए पीआरआई **/** एसआईपी **/बल्क कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।**

- **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से डिजिटल सहमति प्राप्त करने के लिए स्थापित** डीसीए **प्रणाली का लाभ उठाना -** डीसीए **प्रणाली संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी, न केवल संदेश सेवाओं के लिए, बल्कि वॉयस कॉल के लिए भी। यह प्राप्तकर्ताओं को उनकी** डीएनडी **वरीयता के बावजूद संदेश और कॉल की डिलीवरी की अनुमति देता है।** डीसीए **के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचा अब तैयार है। विनियामकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं से समयबद्ध तरीके से इस सुविधा का उपयोग शुरू करने के लिए कहें।**
- **उपभोक्ताओं द्वारा आसान पहचान के लिए सेवा और लेन-देन संबंधी कॉल करने के लिए संस्थाओं द्वारा 160 श्रृंखला का उपयोग - 160 श्रृंखला को विशेष रूप से सेवा और लेन-देन संबंधी कॉल के लिए आवंटित किया गया है। विभिन्न विकल्पों की तकनीकी व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए ट्राई और आरबीआई द्वारा एक पायलट अध्ययन शुरू किया गया था, जिसके परिणामों पर चर्चा की गई।**
- **दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए विनियामकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाना - विभिन्न विनियामकों के पास उनके प्लेटफार्मों पर उपलब्ध सूचनाओं के आदान-प्रदान और धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए इसके प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया।**

इन मुद्दों को सामूहिक रूप से हल **करके, जेसीओआर का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पैम और धोखाधड़ी के नुकसान से बचाना है, साथ ही एक अधिक सुरक्षित और कुशल दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना है।**

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादू वप्रा